कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने दिसम्बर 2014 में 12 लाख से अधिक दावों का निपटान किया गया है । दावा निपटान के समय को घटाकर 20 दिन किया गया । कर्मचारी भविष्य निधि सदस्य यु.ए.एन. के लिए ऑनलाइन अनुरोध कर सकते है ।

नई दिल्ली : श्री के.के. जालान, कर्मचारी अविष्य निधि आयुक्त ने दिसम्बर, 2014 माह के लिए निष्पादन की समीक्षा करते हुए नॉट किया कि कर्मचारी अविष्य निधि संगठन ने नाह के दौरान 12 लाख में अधिक दावों का निपदान किया है । इसके साथ ही वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान निपटाए गए दावों की कुल संख्या 97.5 लाख दावों तक पहुंच गई है । इसमें से, 36.37% दावों को तीन दिनों के भीतर तथा 90.65% को 20 दिनों के मौतर निपटाया गया है । यह इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण है कि केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, क.म.नि. ने हाल ही में अपनी 205वीं बैठक में यह सिफारिश की धी कि योजना के पावधानों के अनुसार दावों के निपदान के लिए उचित अधिकतम समय जो कि वर्तमान में तीस दिन है, को घटाकर 20 दिन किया जाए । इस माह में, शिकायतों के 15082 मामले निपटाए गए तथा देशभर में केवल 4300 मामले ही समाधान के लिए लंबित थे ।

इसके साथ ही स्थापनाओं को ऑनलाइन कोड संख्या आबंटित करने की प्रक्रिया को व्यवस्थित करने के लिए फील्ड कार्यालयों को यह सुनिश्चित करने के निदेश जारी किए गए हैं कि कोड संख्या केवल ऑनलाइन नाण्यम से ही जारी की जाए । इसके साथ ही, वह स्थापनाए जिन्हें पहले ऑफलाइन माध्यम से कवर किया गया था उनके स्वामित्व विवरण को इलैक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त करने के लिए वह प्रस्तावित किया जाता है कि योजना के पैरा 36(7) के अंतर्गत एक समुधित आदेश जारी करके इस प्रकार के विवरण को उपलब्ध कराना अनिवार्य बनाया जाएगा ।

स्थानीय स्तर पर, स्टेक होल्डरों की अधिक आगीदारी सुनिश्चित करने के लिए यह निदेश दिए गए हैं कि सभी क्षेत्रीय समिति की बैठकों का नियमित रूप से आयोजन किया जाए । संगठन में होने वाली विभिन्न गतिविधियाँ, विशेषत: तकनीकी पहलों को इस प्रकार की बैठकों में अवश्य सामने रखा जाना चाहिए ।

नियांक्ताओं द्वारा कर्मचारियों को यू.ए.एन. के बारे में जानकारी न देने संबंधी शिकायतों को दूर करने के लिए, यू.ए.एन. पोर्टल में एक कार्यप्रणाली को जोडा गया है जिसके द्वारा सदस्य मोबाइल आधारित वन टाइम पासवडे (ओ.टी.पी.) के माध्यम से समुचित वैधोंकरण के पश्चात अपना यू.ए.एन. नंबर प्राप्त कर सकता है । इसके साथ ही यूनिवर्सल खाता संख्या (यू.ए.एन.) के आबंटन की प्रक्रिया में एक कदम और आगे बढते हुए कर्मचारी मविष्य निधि संगठन की वेबसाइट के यू.ए.एन. सदस्य ई सेवा पोर्टल में एक कार्यप्रणाली की शुरुआत की गई है जिसके द्वारा एक पुराना सदस्य (जो कि वर्तमान में रोजगार में नहीं है) जिसे यू.ए.एन. आबंटित नहीं किया गया है, इसके माध्यम से इसके आबटन हेत् ऑनलाइन अन्रोध कर सकता है ।

ऑनलाइन अंतरण दावा पोर्टल (ओ.टी.सी.पी.) से प्राप्त हुए लाओं को छूट प्राप्त स्थापनाओं से अछूट प्राप्त स्थापनाओं में मामलों के अंतरण को सक्षम बनाए जाने की सुविधा की शुरुआत ने बढ़ा दिया गया है । इसके साथ, छूट प्राप्त स्थापना (वे स्थापनाएं जो स्वयं के अविष्य निधि न्यास का रख-रखाव करती हैं) को छोड़कर अछूट प्राप्त स्थापना में जाने वाले कर्मचारियों की अविष्य निधि जमाओं को ऑनलाइन अनुरोध के माध्यम से अतरित किया जा सकता है ।

Press release

EPFO settles more than 12 lakh claims in December 2014 Claim settlement time to be reduced to 20 days EPF members can request UAN online

New Delhi: Shri K.K. Jalan, Central P.F. Commissioner while reviewing the performance for the month of December, 2014 noted that EPFO had settled more than 12 lakh claims during the month. With this, the total number of claims settled during the financial year 2014-15 has reached 97.5 lakh claims. Out of this, 36.37% have been settled within 3 days and 90.65% within 20 days. This assumes significance in view of the fact that Central Board of Trustees, EPF has recently in its 205th meeting recommended that the maximum time permissible for settlement of claim as per the provisions of the scheme which is 30 days at present be brought down to 20 days. In this month, 15,082 cases of grievances were disposed off and only 4,300 odd cases were pending for resolution across the country.

Further streamlining the process of online allotment of code numbers to establishments, instructions have been issued to the field formations to ensure that code number is issued through online mode only. Also, with a view to electronically capturing the ownership particulars of establishments who were covered in the past through offline mode, it is proposed that providing such details would be made mandatory by issue of an appropriate order under Para 36 (7) of the scheme.

In order to bring about greater involvement of the stakeholders at the local level, it has been directed that all the Regional Committee meetings are held regularly. The various developments in the organization, especially with reference to technological innovations should be brought to light during such meetings.

To address complaints regarding non-dissemination of UAN to employees by employers, a functionality has been added in the UAN portal whereby a member can access his UAN after due validation through mobile based One Time Password(OTP). Also, taking a step forward in the process of allotment of Universal Account Number (UAN), a functionality has been introduced in the UAN member e-sewa portal of EPFO website whereby any old member(who is at present not in employment) who has not been allotted UAN can make a request online for allotment of the same.

The benefits accruing from Online Transfer Claim Portal (OTCP) have been further augmented by the introduction of facility of enabling transfer cases from exempted to unexempted establishments. With this, the PF accumulations of employees leaving an exempted establishment (establishment maintaining its own PF trust) and joining an unexempted establishment (PF account maintained by EPFO) can be transferred by making an online request.